



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 27 मार्च, 2023/06 चैत्र, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 मार्च, 2023

संख्या: एल0एल0आर0-डी0(6)-9/2022-लेज.—भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन)

विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 6) को दिनांक 01-03-2023 को अनुमोदित कर दिया है तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2023 के अधिनियम संख्यांक 3 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2022

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 118 का संशोधन।

2023 का अधिनियम संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2022

(माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा तारीख 1 मार्च, 2023 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

2. **धारा 118 का संशोधित.**—हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का अधिनियम संख्यांक 8) की धारा 118 की उप धारा (2) के खण्ड (ज) के नीचे द्वितीय परंतुक में, “दो वर्ष” और “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “तीन वर्ष” और “दो वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS (AMENDMENT) ACT, 2022

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of Section 118.

**THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS
(AMENDMENT) ACT, 2022**

(As Assented to by the Her Excellency, the President on 1st March, 2023)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (Act No. 8 of 1974).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Act, 2022.

2. Amendment of Section 118.—In Section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (Act No. 8 of 1974), in sub-section (2), in second proviso below clause (h), for the words “two years” and “one year” the words “three years” and “two years” shall be substituted respectively.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 10th March, 2023

No.HHC/Admn. 6(18)77-IX.—In exercise of the powers vested in it under Section 13 of the Code of Criminal Procedure, 1973, Hon’ble the High Court of Himachal Pradesh has been pleased to confer the powers of Judicial Magistrate Second Class to handle criminal cases upon the following IAS Probationers of 2021 batch, attached for District Training in the Districts mentioned against their names with immediate effect to be exercised by them during their training period, within their respective jurisdictions:

Sr. No.	Name of IAS Probationers	Name of District
1.	Sh. Ishant Jaswal	Chamba
2.	Sh. Vijay Wardhan	Mandi
3.	Ms. Netra Meti	Kangra

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th March, 2023

No.HHC/Admn.6(24)74-X.—Hon'ble the High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Section 7 of H.P. Courts Act, 1976 and under Sections 9(3), and 9(6) of the Code of Criminal Procedure is pleased to confer the powers of District and Sessions Court upon the Additional District and Sessions Judge, Palampur to receive and register all triable civil and criminal cases pertaining to Sub-Division(s) Palampur and Baijnath District Kangra H.P.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th March, 2023

No. HHC/Admn.6(24)74-X.— Hon'ble the High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Section 7 of H.P. Courts Act, 1976 and under Sections 9(3), and 9(6) of the Code of Criminal Procedure is pleased to confer the powers of District and Sessions Court upon the Additional District and Sessions Judge, Dehra to receive and register all triable civil and criminal cases pertaining to Sub-Division(s) Dehra District Kangra H.P.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th March, 2023

No. HHC/Admn.6(24)74-X.—Hon'ble the High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Section 7 of H.P. Courts Act, 1976 and under Sections 9(3), and 9(6) of the Code of Criminal Procedure is pleased to confer the powers of District and Sessions Court upon the Additional District and Sessions Judge, Nurpur to receive and register all triable civil and criminal cases pertaining to Sub-Division(s) Nurpur, Jawali and Indora District Kangra H.P.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th March, 2023

No.HHC/Admn.6(24)74-X—Hon'ble the High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Section 7 of H.P. Courts Act, 1976 and under Sections 9(3), and 9(6) of the Code of Criminal Procedure is pleased to confer the powers of District and Sessions Court upon the Additional District and Sessions Judge, Paonta Sahib to receive and register all triable civil and criminal cases pertaining to Sub-Division(s) Paonta Sahib District Sirmaur H.P.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 15th March, 2023

No.HHC/Admn.16 (34)89-III.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in her u/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, u/s 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Dushyant Puri (HIM/111/2015) and Sh. Avinash Thakur (HIM/313/2011) Advocates as Oath Commissioner at Dalhousie, District Chamba H.P., for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th March, 2023

No.HHC/Admn.2 (117)/2012.—Sh. Naveen Kumar Guleria, Chief Administrative Officer to the District and Sessions Judge, Mandi shall stand retired from service with effect from 31-03-2023 (afternoon) on attaining the age of superannuation as per the provision of Rue 74 of CCS(Pension) Rules, 1972.

By order,

Sd/-
Registrar General.

हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड
फेयरलान्ज, शिमला-171012

अधिसूचना

दिनांक 21 मार्च, 2023

संख्या हिपा (परीक्षा)-21/76-9.—हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड की सम संख्यक अधिसूचना संख्या हिपा (परीक्षा)-21/76-9 दिनांक 12 जनवरी, 2023 द्वारा जारी समय सारणी की तिथियों में अपरिहार्य/प्रशासनिक कारणों से बदलाव किया गया है तथा यह विभागीय परीक्षाएं अब पूर्व निर्धारित दिनांक 03-04-2023 से 12-04-2023 के स्थान पर 16-05-2023 से 24-05-2023 तक संलग्न संशोधित समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाएंगी।

संशोधित समय सारणी हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलान्ज, शिमला की Website www.hipashimla.nic.in पर उपलब्ध है व डाउनलोड की जा सकती है।

हस्ताक्षरित/—

(नीरजसूद)

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड
फेयरलान्ज, शिमला-171012।

**H.P. BOARD OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, HIPA, FAIRLAWNS, SHIMLA-12
DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, APRIL-May, 2023**

DATE SHEET

Category: IAS/HAS

Sl. No	Date/Day	Time	IAS Papers	HAS Papers
1.	16.05.2023 Tuesday	10.00 AM to 1.00 PM	Criminal Law & Procedure & code of civil procedure (Paper-1)	Criminal Law & procedure & code of civil procedure (Paper-1)
		02.00 PM to 05.00 PM	Criminal Case (Paper-2)	Criminal Case (Paper-2)
2.	17.05.2023 Wednesday	10.00 AM to 1.00 PM	Revenue Law & Procedure (Paper-3)	Revenue Law & Procedure (Paper-3)
		2.00 PM to 5.00 PM	Revenue Case (Paper-5)	Revenue Case (Paper-5)
3.	18.05.2023 Thursday	10.00 AM to 1.00 PM	-	General Administration (Paper-6)

		2.00 PM to 3.30 PM	Hindi (written)	Hindi (written)
		3.30 PM to 5.00 PM	Hindi (Oral) (Paper-4)	Hindi (Oral) (Paper-4)
4.	19.05.2023 Friday	10.00 AM to 1.00 PM	-	Planning & Development (Paper-7)
		2.00 PM to 5.00 PM	-	Constitution & Civil Law (Paper-8)
5.	20.05.2023 Saturday	10.00 AM to 1.00 PM	Civil Services, Treasury and Financial Rules (Paper-9)	Civil Services, Treasury and Financial Rules (Paper-9)
		2.00 PM to 5.00 PM	Special Acts Criminal), Manuals & Rules (Paper-10)	Special Acts (Criminal), Manuals & Rules (Paper-10)
6.	21.05.2023 Sunday	10.00 AM to 1.00 PM	Minor Revenue Acts & Rules (Paper-11)	Minor Revenue Acts & Rules (Paper-11)
		2.00 PM to 3:30 PM	-	Computer (Written)
		4.00 PM to 5:00 PM	-	Computer (Practical) (Paper-14)
7.	22.05.2023 Monday	10.00AM to 11:30 AM	Motor Mechanism & Driving (Written)	Motor Mechanism & Driving (Written)
		12.30 PM to 5:00 PM	Practical (Paper-12)	Practical (Paper-12)
8.	23.05.2023 Tuesday	10.00 AM to 5.00 PM	-	Target Shooting (Rifle & Revolver) (Paper-13)

**VENUE: 1. Govt. Degree College (Centre of excellence) Sanjauli at Shimla.
2. Computer Practical at HIPA**

Category: Tehsildars/ Naib-Tehsildars

Sl. No	Date/Day	Time	Tehsildars Papers	Naib-Tehsildars Papers
1.	18-05-2023 Thursday	2.00 PM to 5.00 PM	Hindi (written) (Paper-4)	Hindi (written) (Paper-4)
2.	19.05.2023 Friday	10.00 AM to 1.00 PM	Revenue Law & Procedure (Paper-1)	Revenue Law & Procedure (Paper-1)
		2.00 PM to 5.00 PM	Arithmetic & Patwaris Mensuration (Paper-2)	Arithmetic & Patwaris Mensuration Paper-2)
3.	20.05.2023 Saturday	10.00 AM to 1.00 PM	Minor Revenue Acts & Rules (Paper-3)	Minor Revenue Acts & Rules (Paper-3)

		2.00 PM to 5.00 PM	Criminal Law & Procedure & code of civil procedure (Paper-5)	Criminal Law & Procedure & code of civil procedure (Paper-5)
4.	21.05.2023 Sunday	10.00 AM to 1.00 PM	Revenue Case (Paper-6)	
		2.00 PM to 5.00 PM	Special Acts (Criminal Manual) Rules (Paper-7)	
5.	22.05.2023 Monday	10.00 AM to 1.00 PM	Civil Service, Treasury & Financial Rules (Paper-8)	

**VENUE: 1. Govt. Degree College (Centre of excellence) Sanjauli at Shimla.
2. Computer Practical at HIPA**

Category: Technical/Non-Technical Departments

Sl. No	Date/Day	Time	Technical Papers	Non-Technical Papers
1.	16.05.2023 Tuesday	10.00 AM to 1.00 PM	Financial Administration (Paper-1) (Only for Principals/eligible Lecturers/Headmasters and eligible Teachers of Education Deptt.)	-
		2.00 PM to 5.00 PM	Financial Administration (Paper-1) (For other than teachers of Education Deptt.)	Financial Administration (Paper-1) (For other than teachers of Education Deptt.)
2.	17.05.2023 Wednesday	10.00 AM to 1.00 PM	Concerned Departments (Paper-3)	Concerned Departments (Paper-3)
		10.00 AM to 12.00 PM	HPPSC Computer (Written) (Paper-3)	
		12.30 PM to 1.30 PM	HPPSC Computer (Practical)	
		2.00 PM to 5.00 PM	-	Concerned Departments (Paper-4)

3.	18.05.2023 Thursday	10.00 AM to 1.00 PM	-	Concerned Departments (Paper-5)
		10.00 AM to 11.30 AM	-	Panchayati Computer (Written) (Paper-5) Raj-
		12.00 PM to 1.30 PM	-	Panchayati Computer (Practical) Raj-
		2.00 PM to 5.00 PM	-	Transport Department (Paper-6)
		2.00 PM to 3.30 PM	Hindi (written)	Hindi (written)
		3.30 PM to 5.00 PM	Hindi (Oral) (Paper-2)	Hindi (Oral) (Paper-2)

**VENUE: 1. Govt. Degree College (Centre of excellence) Sanjauli at Shimla.
2. Mandi and Dharamshala for Financial Administration only.
3. Computer Practical at HIPA/Govt. Degree College Sanjauli.**

Category:STO (Excise & Taxation Inspectors)

Sl. No	Date/ Day	Time	Paper Name /Paper Number
1.	19.05.2023 Friday	10.00 AM to 1.00 PM	Law of Crimes (Paper-1)
		2.00 PM to 5.00 PM	Excise Law and Laws related of recovery of arrears. (Paper-2)
2.	20.05.2023 Saturday	10.00 AM to 1.00 PM	Allied taxes and Enforcement of certain provision under GST Laws (Paper-3)
		2.00 PM to 5.00 PM	Goods & Services Tax Laws (Paper-4)
3.	21.05.2023 Sunday	10.00 AM to 1.00 PM	Accounting & IT (Paper-5)

VENUE: Govt. Degree College (Centre of excellence) Sanjauli at Shimla.

Category: Non-Technical Department (Treasury and Distt. Treasury Officers)

Sr. No	Date/Day	Time	Non-Technical Papers
1.	16.05.2023 Tuesday	10.00 AM to 1.00 PM	-
		2.00 PM to 5.00 PM	Financial Rules (Paper-5)
2.	17.05.2023 Wednesday	10.00 AM to 1.00 PM	Principles of Accounts (Paper -3)
		2.00 PM to 5.00 PM	Treasury Rules and Accounting Procedures (Paper-4)
3.	18.05.2023 Thursday	10.00 AM to 12.00 AM	I.T. (Written)
		12.30 PM to 1.30 PM	I.T. (Practical) (Paper-1)
		2.00 PM to 3.30 PM	Hindi (written)
		3.30 PM to 5.00 PM	Hindi (Oral) (Paper-2)

**VENUE: 1. Govt. Degree College (Centre of excellence) Sanjauli at Shimla.
2. I.T. Practical at HIPA**

BOARDS/CORPORATIONS**Category: H.P. BOARD OF SCHOOL EDUCATION**

Sl. No	Date/Day	Time	EDUCATION BOARD
1.	16.05.2023 Tuesday	2.00 PM to 5.00 PM	Financial Administration (Paper-1)
2.	17.05.2023 Wednesday	10.00 AM to 1.00 PM	Administration and General (Paper-2)
		2.00 PM to 5.00 PM	Board Act and Regulations (Paper-3)

VENUE: Govt. Degree College (Centre of excellence) Sanjauli at Shimla.

**Assistant Engineers/ Engineering Officers (Electrical) of H.P. State
Electricity Board LTD.**

Sl. No	Date/ Day	Time	Paper Name /Paper Number
1.	19.05.2023 Friday	10.00 AM to 1.00 PM	Paper-A(Open Book) Rules, Regulations, Procedures and Acts.
2.	20.05.2023 Saturday	10.00 AM to 1.00 PM	Paper-B Part-1 (Open Book) Consumer/Company accounts and accounting procedures. Part-2 (No Book allowed) Electrical Engineering Basics.

**Assistant Engineers/ Engineering Officer (Civil & Mechanical) of H.P.
State Electricity Board Ltd.**

Sr. No	Date/ Day	Time	Paper Name /Paper Number
1.	19.05.2023 Friday	10.00 AM to 1.00 PM	Paper-A(Open Book) Rules, Regulations, Procedures and Acts.
2.	20.05.2023 Saturday	10.00 AM to 1.00 PM	Paper-B Part-1 (Open Book) Consumer/Company accounts and accounting procedures. Part-2 (No Book allowed) Civil Engineering

VENUE: Govt. Degree College (Centre of excellence) Sanjauli at Shimla.

Assistant Engineers(C)/Sr.Managers of H.P. Tourism Development Corp.Ltd.

Sl. No	Date/ Day	Time	Paper Name /Paper Number
1.	16.05.2023 Tuesday	10.00 AM to 1.00 PM	Accounts & Administration [common for Sr.Managers&Asstt. Engineers (C) of HPTDC] (Paper-1)
		2.00 PM to 5.00 PM	Hotel Management (Sr.Managers of HPTDC) (Paper-2)
2.	17.05.2023 Wednesday	10.00 AM to 1.00 PM	Project Management & Engineering (Rules & Acts) (Assistant Engineers of HPTDC) (Paper-3)

VENUE: Govt. Degree College (Centre of excellence) Sanjauli at Shimla.

Departmental Examination for Kanungo/Patwaris of Revenue Deptt.

Sl. No	Date/ Day	Time	Paper Name /Paper Number
1.	22.05.2023 Monday	2.00 PM to 5.00 PM	HP Land Record, Rules (Revised Manual) (Paper-1)
2.	23.05.2023 Tuesday	10.00AM to 1.00 PM	Settlement Manual & Patwaris Mensuration (Paper-2)
		2.00 PM to 5.00 PM	Arithmetic (Paper-3)
3.	24.05.2023 Wednesday	10.00 AM to 1.00 PM	Reporting, Calligraphy, Writing and Hindi Essay (at the Matric level/ Standard (Paper-4)

VENUE: Govt. Degree College (Centre of excellence) Sanjauli at Shimla.

जल शक्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 27 मार्च, 2023

संख्या आई०पी०एच०-बी (ए)३-१/२०१९.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन अधिनियम, 2022 (2022 की अधिनियम संख्या 14) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 28 मार्च, 2023 को ऐसी तारीख नियत करते हैं, जिसको पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,

अमिताभ अवस्थी,
सचिव (जल शक्ति)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. IPH-B(A)3-1/2019, dated 27-03-2023 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

JAL SHAKTI VIBHAG

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 27th March, 2023

No. IPH-B(A)3-1/2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Amendment Act, 2022(Act No.14 of 2022), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 28th March, 2023 as the date on which the provisions of Act *ibid* shall come into force.

By order,

AMITABH AVASTHI,
Secretary (JSV).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Anil Kumar s/o Sh. Duni Chand, aged 30 years, r/o Village Dhimma, P.O. Khajjiar, Tehsil & District Chamba (H.P)

and

Bharti d/o Sh. Hem Raj, aged 27 years, r/o Village Bharua, P.O. Raadi, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

Versus

The General Public

Subject.— Notice regarding registration of Marriage under section 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954.

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 22-09-2019 at their place of residences and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 03-04-2023. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 3rd Day of March, 2023.

Seal.

ARUN KUMAR SHARMA, HPAS,
*Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).*

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Navneet Singh Rana s/o Late Sh. Krishan Chand Rana, aged 47 years, r/o Mohalla Upper Surara, Chamba Town, Tehsil & District Chamba (H.P).

and

Reena Kumari d/o Late Sh. Samunder Singh, aged 35 years, r/o V.P.O. Kathanna, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.)

Versus

The General Public

Subject.— Notice regarding registration of Marriage under section 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954.

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 22-05-2013 at their place of residences and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 08-04-2023. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 7th Day of March, 2023.

Seal.

ARUN KUMAR SHARMA, HPAS,
Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री जरम सिंह सुपुत्र चन्दो राम, निवासी गांव कुडेरा, डा0 घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम जरम सिंह है, जोकि ग्राम पंचायत घटासनी के नकल परिवार रजिस्टर व उसके लड़के के मैट्रिक प्रमाण-पत्र में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल कुडेरा में गलती से जरमो दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 05-04-2023 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती पदमा देवी कंवर पत्नी श्री इन्द्र देव, निवासी गांव चलामा, डा0 घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्की वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम पदमा देवी कंवर है, जोकि ग्राम पंचायत चलामा के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चलामा में गलती से पदमा देवी दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 05-04-2023 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणीए उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्री ओम प्रकाश पुत्र कर्मो, निवासी गांव बन्जवाड, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हडला में जन्म पंजीकरण रजिस्टर करने बारे।

प्रार्थी श्री ओम प्रकाश पुत्र कर्मो, निवासी गांव बन्जवाड, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत हडला के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी पुत्री की जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसकी पुत्री मानवी देवी की जन्म तिथि 08-11-2017 को व पुत्र नक्श भारद्वाज का जन्म 21-08-2018 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत हडला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई है। इसलिए अब ग्राम पंचायत हडला को पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त की पुत्री व पुत्र के नाम पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 05-04-2023 को प्रातः 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा प्रार्थी की पुत्री मानवी देवी की जन्म तिथि 08-11-2017 को व पुत्र नक्श भारद्वाज का जन्म 21-08-2018 को पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समागत न होगा।

आज दिनांक 06-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन,
जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

मिसल नम्बर :

आगामी सुनवाई : 06-04-2023

श्रीमती रजनी शर्मा पत्नी श्री रूप लाल, गांव घलोल, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

श्रीमती रजनी शर्मा पत्नी श्री रूप लाल, गांव घलोल, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 28-02-2023 को इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम कागजात माल टीका घलोल, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में रजनी देवी दर्ज है परन्तु अन्य जगह उसका नाम रजनी शर्मा दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि यह दोनों नाम उसी के ही हैं। प्रार्थी अब दुरुस्ती करवाकर कागजात माल टीका घलोल, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में प्रार्थिया का नाम रजनी देवी उर्फ रजनी शर्मा करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया के नाम को दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असागतन या वकालतन तारीख पेशी 06-04-2023 को सुबह 11 बजे मुकाम नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समागत न होगा तथा प्रार्थिया के प्रार्थना-पत्र पर नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

ये इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 10-03-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन,
जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

मिसल नम्बर :

आगामी सुनवाई : 06-04-2023

श्री सुरेश कुमार पुत्र कंचन राम, गांव साई, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

श्री सुरेश कुमार पुत्र कंचन राम, गांव साई, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 24-08-2022 को इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम कागजात माल टीका साई, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में सुरेश चन्द दर्ज है परन्तु अन्य जगह उसका नाम सुरेश कुमार दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि यह दोनों नाम उसी के ही हैं। प्रार्थी अब दुरुस्ती करवाकर कागजात माल टीका साई, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में सुरेश चन्द उर्फ सुरेश कुमार करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 06-04-2023 को सुबह 11 बजे मुकाम नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

ये इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 10-03-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील नादौन,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर :

आगामी सुनवाई : 06-04-2023

श्री राजिन्दर सिंह पुत्र श्री केसर सिंह, गांव जजोली, डाकघर जलाडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रकाश चन्द, गांव रियोडी, डाकघर जलाडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि वह अपनी जन्म तिथि दिनांक 15-04-1970 वासी रियोडी, ग्राम पंचायत जलाडी के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका है तथा अब उक्त जन्म तिथि दिनांक 15-04-1970 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त रविन्द्र सिंह की जन्म तिथि दिनांक 15-04-1970 को ग्राम पंचायत जलाडी में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-04-2023 को तहसील कार्यालय नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्रवाई की जायेगी एवं राजिन्दर सिंह पुत्र श्री केसर सिंह की जन्म तिथि दिनांक 15-04-1970 को ग्राम पंचायत जलाडी में दर्ज करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 10-03-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार) नादौन, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

मुकद्दमा : तस्दीक मकफूद—उल—खबरी

आगामी पेशी : 18-04-2023

उनवान सोमा देवी, निवासी महाल किटपल, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

मुकद्दमा उपरोक्त उनवानवाला मकफूद—उल—खबरी, महाल किटपल, मौजा हथोल में प्रार्थिन श्रीमती सोमा देवी पुत्री श्री भगत राम, निवासी महाल किटपल, मौजा हथोल, हाल पत्नी ओकार चन्द, निवासी वेहा, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर की माता श्रीमती रोशनी देवी पत्नी भगत राम पुत्र श्री पुन्नू राम जायदाद स्थित महाल साई, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर 40 साल पहले घर से चली गई थी। वह आज दिन तक घर न आई है और न ही इस अरसा के दौरान किसी को भी उसके जीवित होने की सूचना मिली है। इस बारे में प्रार्थिन द्वारा रपट रोजनामचा संख्या 21, दिनांक 22-02-2021 पुलिस थाना नादौन में दर्ज करवाई गई है।

अतः इस नोटिस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रोशनी देवी पत्नी भगत राम पुत्र श्री पुन्नू राम उपरोक्त के प्रति किसी व्यक्ति को कोई जानकारी हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी नादौन बवक्त 10.00 बजे प्रातः आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में श्रीमती रोशनी देवी पत्नी भगत राम का इन्तकाल जायज वारसान के नाम नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 15-02-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(अपूर्व शर्मा),
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

**Before the Court of Executive Magistrate-cum-Tehsildar, Sujanpur,
Distt. Hamirpur (H. P.)**

Smt. Rameshwari Devi w/o Sh. Yog Raj s/o Sh. Sukh Ram, r/o Village Beri, P.O. Jangal Beri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.— Regarding registration of Birth under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 prior to 01-04-1970.

Smt. Rameshwari Devi w/o Sh. Yog Raj s/o Sh. Sukh Ram, r/o Village Beri, P.O. Jangal Beri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the court of undersigned under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her mother-in-law Smt. Safi Devi w/o Sh. Sukh Ram has died on 28-12-1997 at Village Beri, P.O. Jangal Beri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) but her date of death could not be entered in the record of Gram Panchayat Beri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of death of Smt. Safi Devi w/o Sh. Sukh Ram, r/o Village Beri, P.O. Jangal Beri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) may submit their objections in writing in this court on or before 09-04-2023 failing which no objection will be entertained after expiry of date and application would be decided under the relevant provisions of Act and rules on the subject.

Given under my hand and seal of the court on this 10-03-2023.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate-cum-Tehsildar,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

1. श्री वरुण पुत्र रणबीर कुमार, वासी टीका लड़योह, डाकघर बराडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

2. श्रीमती ममता कुमारी पुत्री सुरेश कुमार, वासी टीका टिक्कर बुहला, डा0 टिक्कर खतरियां, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) प्रार्थी।
बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

विषय.—विवाह पंजीकरण under section 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अधीन दर्ज करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थीगण ने दिनांक 05-02-2018 को मुकाम टिक्कर बुहला, डा0 टिक्कर खतरियां, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार आपस में विवाह किया है। लेकिन किसी कारणवश यह विवाह ग्राम पंचायत बराडा में उपरोक्त दिनांक को दर्ज न हो सका। प्रार्थी अब इस विवाह को ग्राम पंचायत बराडा के रिकार्ड में पंजीकृत करवाना चाहता हैं। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस विवाह पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय आकर दिनांक 06-04-2023 तक एतराज पेश कर सकता हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 04-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	दायर तिथि :
37/टी0डी0आर0/2022	जन्म पंजीकरण	16-11-2022

श्री संजू पुत्र नन्द लाल, निवासी गांव सोझा, डा0 पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्री संजू पुत्र नन्द लाल, निवासी गांव सोझा, डा0 पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) के जन्म पंजीकरण के सम्बन्ध में इशतहार/सूचना राजपत्र, हि0प्र0 में प्रकाशित करने बारे।

श्री संजू पुत्र नन्द लाल, निवासी गांव सोझा, डा0 पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा आवेदन-पत्र शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों/रिकार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 01-04-1998 को हुआ है जोकि अज्ञानतावश सम्बन्धित ग्राम पंचायत कोटाधार के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी अब ग्राम पंचायत कोटाधार में अपने जन्म का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

इस बारे आरंभिक छानबीन क्षेत्रीय राजस्व इकाई से करवाई गई जिसमें श्री संजू का जन्म दिनांक 01-04-1998 को होना पाया गया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोटाधार के रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख 05-04-2023 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे तक हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने बारे नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 28-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 :
34 / टी0डी0आर0 / 2022

किस्म मुकद्दमा :
मृत्यु पंजीकरण

दायर तिथि :
31-10-2022

श्री हेत राम पुत्र चमारु राम, निवासी गांव राणीधार, मुहाल पाली, डा0 पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्री हेत राम पुत्र चमारु राम, निवासी गांव राणीधार, मुहाल पाली, डा0 पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) के पिता श्री चमारु राम की मृत्यु की घटना के सम्बन्ध में इशतहार/सूचना राजपत्र, हि0प्र0 में प्रकाशित करने बारे।

श्री हेत राम पुत्र चमारु राम, निवासी गांव राणीधार, मुहाल पाली, डा0 पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा आवेदन—पत्र शपथ—पत्र व अन्य दस्तावेजों/रिकार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसके पिता चमारु राम की मृत्यु मुकाम गांव राणीधार पूर्व ग्राम पंचायत कोटाधार में दिनांक 13-07-1999 को हो चुकी है जोकि अज्ञानतावश सम्बन्धित ग्राम पंचायत कोटाधार के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रार्थी अब पूर्व ग्राम पंचायत कोटाधार व हाल ग्राम पंचायत पाली में अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

इस बारे आरंभिक छानबीन क्षेत्रीय राजस्व इकाई से करवाई गई जिसमें श्री हेत राम के पिता की मृत्यु दिनांक 13-07-1999 को होना पाई गई है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति के पिता चमारु राम की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोटाधार एवं हाल ग्राम पंचायत पाली के रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख 05-04-2023 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे तक हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त मृत्यु की घटना दर्ज करने बारे नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 28-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्री रजनीश कुमार पुत्र गोपाल सिंह, प्रेम लता पुत्री गोपाल, पलवी पत्नी गोपाल सिंह, निवासी व डा0 चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

मखफूद—उल—खबरी का इन्तकाल बारे।

श्री रजनीश कुमार पुत्र गोपाल सिंह, प्रेम लता पुत्री गोपाल, पलवी पत्नी गोपाल सिंह, निवासी व डा0 चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि गोपाल सिंह पुत्र दुर्गा, निवासी व डा0 चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर दिनांक 28-08-2009 को वह अपनी डियूटी को Women Engineering College नौलखा, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) गए परन्तु वापिस नहीं आए। इस सन्दर्भ में श्री रजनीश सोनी ने एफ0आई0आर0 की प्रति ब्यान तथा इस न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय अभिकरण से रिपोर्ट भी तल्ब की है जिसमें उन्होंने दुर्घटना की पुष्टि की है। प्रार्थीगण गोपाल सिंह पुत्र दुर्गा का मखफूद—उल—खबरी का इन्तकाल दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त मखफूद—उल—खबरी का इन्तकाल दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-04-2023 को मुकर्र तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकहमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 01-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

समक्ष श्री टेक चन्द चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 01/2023

तारीख मजरुआ : 03-03-2023

आगामी पेशी : 05-04-2023

श्रीमती बसन्ती पुत्री श्री देवी राम, निवासी बन्दला, डाकघर सेरीकोठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिन श्रीमती बसन्ती पुत्री श्री देवी राम, निवासी बन्दला, डाकघर सेरीकोटी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) का आवेदन-पत्र अतिरिक्त जिला पंजीकार (जन्म एवं मृत्यु) एवं चिकित्सा अधिकारी मण्डी के माध्यम से इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया श्रीमती बसन्ती ने अपनी जन्म तिथि 03-06-1972 दर्शाई है। परन्तु किसी कारणवश इसके जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सेरीकोटी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हो पाया। आवेदन-पत्र की पुष्टि में आवेदिका द्वारा स्वयं का एक ब्यान हल्फी व दो गवाहों के शपथ-पत्र भी प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किए हैं। प्रार्थिनी इस न्यायालय के माध्यम से अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सेराकोटी में करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त नाम पंजीकरण के बारे में किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 05-04-2023 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम, जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 04-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

टेक चन्द चौहान,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

श्रीमती शर्मिला देवी पुत्री रौनकी राम, निवासी हवाणी, डाकघर बरोटी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्रीमती शर्मिला देवी पुत्री रौनकी राम, निवासी हवाणी, डाकघर बरोटी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व अप्राप्यता प्रमाण-पत्र स्थानीय पंजियक/मृत्यु प्रमाण-पत्र, प्रधान ग्राम पंचायत प्रस्तुत किया है उसका जन्म दिनांक 01-10-1968 को हुआ है। किन्हीं कारणवश वह अपना जन्म ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सकी।

11378

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 मार्च 2023/06 चैत्र, 1945

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म तिथि दिनांक 01-10-1968 को दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन पेशी दिनांक 06-04-2023 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।